



9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये:-

क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी पाटुर्ना छिंदवाडा	22/4/13	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,22,31 ए 3 7 व 40 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,4 4,45 ए एवं 47	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 का उल्लंघन करने व बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने के कारण।
2	मेसर्स एलिकजर इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा.लि. ग्वालियर	03/05/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	बिना पर्यावरणीय स्वीकृति व सम्मति के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण।
3	नगर पालिक निगम जबलपुर	20/7/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,43,44 ए एवं 48	बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने एवं जल प्रदूषण फैलाने के कारण।
4	मेसर्स कुसुम मिनरल्स विष्णुआ मंडला एण्ड श्री भीकम चन्द्र जैन एवं श्री रफीक अहमद	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने के कारण।
5	मेसर्स अलीका मिनरल्स भाटियाटोला नैनपुर मंडला कु. सिप्टन वानो घरमशाला वार्ड मंडला	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति नवीनीकरण न कराये जाने के कारण।
6	मेसर्स धर्मेन्द्र कुमार मोदी डोलोमाइट माइन्स भाटियाटोला नैनपुर मंडला 0.86 हे.	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति नवीनीकरण न कराये जाने के कारण।
7	मेसर्स अरुण डोगरसे डोलोमाइट माइन्स भाटियाटोला विष्णुआ मंडला	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति न लेने के कारण।
8	मेसर्स रॉक एण्ड मिनरल्स डोलोमाइट माइन्स मुगदरा नैनपुर मंडला	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति न लेने के कारण।



9	मेसर्स कुसुम मिनरल्स डोलोमाइट माइन्स विछुआ मंडला 2.41 हे.	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 4 5 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड की बगैर सम्मति के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारण।
10	मेसर्स एस.टी.पी. सारनी, जिला बैतूल	सितम्बर 2013	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43 एवं 44 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -37,39 व सहपठित धारा-40	सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने के कारण।
11	मेसर्स शील देवी झा डोलोमाइट माइन्स 4.6 1 हे. विछुआ मंडला	10/09/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 4 5 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड की बगैर सम्मति के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारण।
12	मेसर्स शील देवी झा डोलोमाइट माइन्स 4.41 हे. विछुआ मंडला	10/09/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 4 5 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड की बगैर सम्मति के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारण।
13	मेसर्स समदडिया शॉपिंग माल एवं मल्टीप्लैक्स	10/09/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड की बगैर सम्मति के संचालित रहने के कारण।
14	मेसर्स श्री श्रीलाल आंजना ग्राम सोनियाना तहसील व जिला नीमच	17/09/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 व 19 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के नियमों के उल्लंघन के कारण।
15	मेसर्स श्री पूरनमल आंजना ग्राम सोनियाना तहसील व जिला नीमच	17/09/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 व 19 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के नियमों के उल्लंघन के कारण।
16	मेसर्स अभिदीप प्लास्टिक सागर	5/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 व 19 एवं अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 की धारा-5 (ग) के अन्तर्गत।	अमानक प्रकार के पॉलीथिन कैरी बैग पाये जाने के कारण।
17	मेसर्स एम.पी.स्टेट माईनिंग कार्पो.ग्राम तिगोडा, जिला-सागर	5/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 व 19 के अन्तर्गत।	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बगैर खदान ईकाई का संचालन करने के कारण।
18	मेसर्स पंकज पोलीमर्स मंडीदीप रायसेन	7/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन ए वं हथालन) नियम 2011 का उल्लंघन (पॉलीथिन के नमूने अमानक श्रेणी के पाये जाने के कारण।



19	मेसर्स राधामोहन इण्डस्ट्रीज मंडीदीप रायसेन	7/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 का उल्लंघन (पॉलीथिन के नमूने अमानक श्रेणी के पाये जाने के कारण।
20	मेसर्स सत्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. राउखेडी इन्दौर	17/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 14/9/06 को जारी नोटिफिकेशन के उपबंधों का उल्लंघन।
21	मेसर्स मेकर रियल वेंचर (सिल्वर इस्टेट वर्टिका) भोपाल	1/11/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करने के कारण।
22	मेसर्स अमलोरी कोलमाइन प्रोजेक्ट एनसीएल पोस्ट. अमलोरी जिला-सिंगरौली	21/11/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 एवं 16 के अन्तर्गत।	खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, हस्तन एवं सीमापार संचलन) नियम 2005 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राधिकार के शर्तों का उल्लंघन करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन के कारण।
23	मेसर्स के.जे.एस सीमेंट लि. गिरगिट लाइम स्टोन माइन्स रकवा 258.998 हे.तहसील मैहर सतना	23/12/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15/16 के अन्तर्गत।	ई.आई.ए नोटिफिकेशन 2006 का उल्लंघन करने के कारण।
24	मेसर्स वेदान्त हॉस्पिटल इन्दौर	07/01/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998 का उल्लंघन।
25	मेसर्स शिखर हाउसिंग डेवलपर्स इन्दौर	07/01/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 14/9/06 को जारी नोटिफिकेशन के उपबंधों का उल्लंघन।
26	मेसर्स आर्म्स रीयल इस्टेट डेवलपर्स इन्दौर	07/01/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 14/9/06 को जारी नोटिफिकेशन के उपबंधों का उल्लंघन।
27	मेसर्स सिद्धिविनायक डेवलपर्स इन्दौर	20/01/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 14/9/06 को जारी नोटिफिकेशन के उपबंधों का उल्लंघन।

